

प्रिय,

एच.पी. सिंह
विशेष सचिव
50540 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
50540, लखनऊ।

तारीख : दिनांक : 13 अगस्त, 2015

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

अन्वेषण कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मजिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1802/77/10/छ:/विधि/आसरा/तकनीकी (जौनपुर-मडियाहू-144) दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कानून निदेश हुआ है कि शहरी शर्मा की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मजिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से जनपद जौनपुर की निकाय मडियाहू की 103 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹0 494.81 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित आविका के स्टाम्प-7 में अंकित प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹0 247.405 लाख (रुपये दो करोड़ सैंतासि लाख चालीस हजार पांच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सिम्बलिशियत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत	समाप्ति एवं के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	समाप्ति एवं के लाभार्थियों के आवासीय सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत	प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेट सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	जौनपुर/मडियाहू	144	691.78	103	494.81	247.405
योग				103	494.81	247.405

(रुपये दो करोड़ सैंतासि लाख चालीस हजार पांच सौ मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के संवन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनदेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012(सी.सी.), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनदेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012(सी.सी.) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करने हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अंश-12 के प्रस्तर 113 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(Handwritten signature)

3. प्रायोजना का विभागीय कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आकार, कक्षा, नक्शा, शीर्षक व विवरण प्रायोजना/राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्रीय स्तरीय स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार आवश्यक आयरन शीटों के साथ विभागीय एवं पर्यावरणीय विनियम प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजना निर्गत प्रायोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परिष्कारपूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिधि के अन्तर्गत होने एवं कार्य की दिसावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशेषियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य की कार्यदायी संस्था द्वारा तबकीकी रीति में निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट आवातों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आवात योजनान्तर्गत आवातों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवात बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सशम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विस्तृत संहित सहायक योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रय होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्रय हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरप्राप्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. रबीहा धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक डाकघर/डिपॉजिट खाते व कोऑपरेटिव में नहीं रखी जायेगी। रबीहा कोषागार से आगत धनराशि का कोषागार से आगत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रथमतः आरक्षण अनुसूची के पूरे यथावधि के बाद, तत्पश्चात् राज्य के कर्तव्य की रबीहा की कर्तव्य, सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन का पालन रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में तथा कलेक्टर अवश्य करा लिया जाय। योजनागतगत प्रथम किरत के रूप में स्वीकृत अवत धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सम्बन्ध शीर्षक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोजित प्रमाण पर शासन की समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदुपरोक्त योजना की अवधि/द्वितीय किरत की धनराशि अनुसूची की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुसूचित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की यथावत पर अपने लेखों का मित्रान महसूलाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेगी।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुसूची (एमओओयू) निष्पादित किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित सूझा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेख शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-असुरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के तहत डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।


भवदीय,

 (एचओपीओ सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-767/2015/1893(1)/69-1-15, तद्विज्ञांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित-

1. महसूलाकार (लेखा एवं हकदारों), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी लायड मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छत्वां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं शरीरी उन्नयन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्याक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जौनपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गाई फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

 (एचओपीओ सिंह)
 विशेष सचिव।